भारत के परिप्रेक्ष्य में असंगठित क्षेत्र के कार्यरत् महिला श्रमिक की स्थिति एवं कार्य–दशा

सुरजीत कुमार वर्मा
शोध छात्र, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश

भारतीय समाज और कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों की सामाजिक प्रस्थिति में प्रगतिशील परिवर्तन के तथ्यात्मक प्रमाण मिलते है लेकिन इस परिवर्तन की प्रवृत्ति की दिशा संतोषजनक नही है। वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिक परिवार, संगठन एवं समाज के दबाव में भेदभाव, शोषण और हिंसा की कठोर वास्तविकताओं से संघर्ष करती रहती है और कार्यस्थल की अपेक्षाओं एवं रूढ़िवादी घरेलु प्रतिबद्धताओं के मध्य संतुलन बनाने के लिए कठिनतम् प्रयास भी करती है। इस शोधपत्र में असंगठित क्षेत्र के कार्यरत् महिला श्रमिकों की वर्तमान स्थिति एवं कार्य–दशा का विश्लेषण किया गया है।

वैश्वीकरण आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक परिवर्तन की एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विकासवादी एवं कल्याणकारी राज्य, गरीबी का स्त्रीकरण, धर्म में रूढ़िवादिता के विस्तार के कारण महिलाओं के आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के शोषण में वृद्धि हुई है। प्रायः असंगठित होने के कारण महिलाओं को मानव अधिकार का हनन, रोजगार एवं कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के निम्न स्तर, सीमित तकनिकी कौशल के कारण महिला श्रमिक आसानी से हाशिये पर आ जाती है और किसी भी प्रकार की नये लाभ से वंचित हो जाती है।

मुख्य शब्द– असंगठित क्षेत्र, वैश्वीकरण, कल्याणकारी राज्य, उपेक्षितता।

भारत की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रहा है जहॉ उनकी न तो सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार से सम्बन्धित सुरक्षा के लिए कोई वैधानिक प्रावधान है और न ही नियोजक एवं श्रमिक के मध्य कोई नियमित समझौता होता है, ऐसे क्षेत्रों को अंसगठित क्षेत्र कहते है। 1950 के दशक में डब्लू आर्थर लेविस[1] ने 'मार्क्सवादी' परम्परा मे आर्थिक विकास की समस्या की विवेचना 'असीमित श्रम की आपूर्ति' के संदर्भ में की है। लेविस के अनुसार विकासील देशों में असीमित श्रम न्युनतम वेतन पर औघोगिक क्षेत्र द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है जहॅा से नियोजक को न्यूनतम वेतन पर महिला एवं पुरूष श्रमिक प्राप्त हो जाते है। 1970 के दशक मे गरीब देशों में नगरीय अर्थव्यवथा के निचले स्तर पर बृहद संख्या मे पुरूष एवं महिला श्रमिकों की भीड़ जमा हो गयी। ये श्रमिक जीवन निर्वाह के लिए कठिन संर्घ कर रहे थे तथा उनकी सामजिक प्रस्थिति भी निम्न थी। इनमें महिला श्रमिकों की सामाजिक प्रस्थिति तो और ही निम्न थी।

भारत मे सर्वप्रथम असंगठित क्षेत्र की आधिकारिक परिभाषा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सन् 1980 में दिया गया । इस संगठन के अनुसार असंगठित क्षेत्र वह संचालित इकाई है जिसका कियान्वयन न तो संवैधानिक अधिनियम के द्वारा अधिनियमित् होता है और न ही कोई वैधानिक प्रावधान होता है। हाल ही में अर्जुन सेन गुप्ता आयोग (2012) की रिपोर्ट के अनुसार कार्यशील आबादी का 92 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र से सम्बधित है जिसमें लगभग 34 प्रतिशत महिला श्रमिक है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रमिकों के शारीरिक एवं मानसिक शोषण के साथ ही कम वेतन पर अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी कृतियों में इसका विश्लेषण अतिरिक्त मूल्य के रूप में किया है।

समाज के आरम्भ में भारतीय परम्परा के अनुसार महिला को सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ व्यवहार किया गया लेकिन इसके बावजूद कभी–कभी अपमानजनक स्थिति के संदर्भ मिलते है। महिला समाज और संगठन के परिवर्तन के लिए अग्रणी रही है। महिलाएं नई पीढ़ी को जन्म देकर समाज की निरन्तरता में मुख्य भूमिका निभाती है। आज जीवन के प्रत्येक कदम पर महिलाएं अग्रसर हो रही है।

यहॉ तक कि पुरूष प्रधान कार्य–क्षेत्रों में भी तेजी से प्रवेश कर रही है। आज महिलाएं परम्परागत् घरेलू कार्यों और घर की चहारदीवारी को तोड़कर बाहर आ रही है और मुख्य भूमिका निभाकर इतिहास बना रही है। विडंबना यह है कि महिलओं के बहुमुखी भूमिका निभाने के लिए कभी–कभी प्रशंसा की जाती है लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। प्रायः महिलाओं पर निर्धारित परंपरागत् और निर्विवाद सामाजिक आचार संहिता के अनुरूप नही होने का आरोप लगाया जाता है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय समाज निरन्तर महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हुए परिवर्तन के प्रवाह का अनुभव कर रहा है। आजादी के बाद भारत में महिला के स्वतन्त्र होने की नींव अंग्रजों द्वारा रखी गयी थी जो संविधान की विधायी संरचना में दिखाई देता है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास में महिला की भूमिका को समझने और परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है।

महिलाओं के रोजगार की अवधारणा पुरी दुनिया में देश के आर्थिक जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का न केवल विकसित देशों में बल्कि विकासशील देशों में भी औद्योगिकीकरण के आगमन के साथ व्यापक आयाम ग्रहण कर लिया है। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि पुरूषों के साथ महिलाएं भी देश की समृद्धि एवं देश के लोगों के जीवन स्तर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पुर्णतः स्थापित हो गया है कि देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वैश्वीकरण ने विकाशील दुनिया भर में लाखों महिलाओं को वैतनिक रोजगार में ले लिया है लेकिन वैश्वीकरण के लाये गये लाभों को श्रमिक महिलाओं से वंचित किया जा रहा है। सामान्यतः सभी महिलाओं को आज भी अल्पकालिक अनुबन्ध पर रखा जाता है या उनसे कोई अनुबन्ध नही किया जाता है जबकि श्रमिक महिलाएं अस्वाथ्यकर परिस्थितियों में भी कम मजदूरी के साथ अतिरिक्त काम कर रही है। महिला श्रमिकों को सामान्य जीवन निर्वाह के लिए लम्बे समय तक कार्य करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ एवं बीमार होने के स्थिति में सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नही होता है जिससे उन महिलाओं की आर्थिक बचत नही हो पाती है। वैश्वीकरण के मौजूदा मॉडल की असफलताओं में महिला श्रमिकों की कठोर वास्तविकता सामने आती है।

अध्ययन के उद्देश्यः

1. भारत में महिला श्रमिकों सामाजिक प्रस्थिति का पता लगाना
2. भारत में महिला श्रमिकों की कार्य–दशा का पता लगाना

अनुसंधान प्रारूपः

शोध पद्धति के अन्तर्गत शोध प्रारूप एवं शोध प्रविधि दोनो सम्मिलित होती है। प्रस्तुत शोध में व्याख्यात्मक शोध प्रारूप (Explanatory Research Design) का उपयोग किया गया है। तथ्य संकलन द्वैतियक स्त्रोतों से किया गया है जिसमें पुस्तकें, विभिन्न प्रतिवेदन, अनुसंधान लेख, समाचार पत्र, वेबसाइट एवं साहित्य प्रमुख है।

उपकल्पनाः

1. श्रमिकों की भागीदारी, कार्य की दशा एवं शोषण के स्तर के संदर्भ में महिला श्रमिकों की स्थिति खराब है
2. महिला श्रमिकों की खराब आर्थिक स्थिति के लिए आर्थिक आवश्यकता एवं तकनिकी उन्नति जिम्मेदार है

महिला श्रमिकों की दशाः

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है–

1. भारत की कुल जनसंख्या का 48.43 प्रतिशत[2] महिला
2. असंगठित क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या में 34 प्रतिशत[3] महिला श्रमिक कार्यरत्
3. कुल कार्यशील घण्टे का 60 प्रतिशत प्रदर्शन
4. विश्व की आय का 10 प्रतिशत अर्जन
5. भारत के महिला श्रमिकों की सम्पत्ति विश्व की सम्पत्ति की 01 प्रतिशत से भी कम

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 8 मार्च, 2007 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार यह दर्शाया गया है कि कार्यशील महिला की सामाजिक स्थिति उतना आश्चर्यजनक नही है जितना उनके रोजगार और सुरक्षा आदि के मामले में लैंगिक असमानता पायी जाती है। इन सभी क्षेत्रों में श्रमिक महिलाएं या तो कम मजदूरी पर कार्य करती है या परिवार में अवैतनिक सदस्य के रूप में योगदान देती है।[4]

भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कुल कार्यशील जनसंख्या का 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र का योगदान है। भारत के इस क्षेत्र में 140 मिलियन महिला श्रमिक कार्यरत् है। असंगठित क्षेत्र के गैर–कृषि क्षेत्र में भारत में 27 मिलियन महिला श्रमिक कार्यरत् है। नगरीय महिला 10 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण महिला 27 प्रतिशत से अधिक कार्यरत् है। असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक अधिक कार्य कर रही है। महिला श्रमिकों के ये कार्य अदृश्य, अनियमित और मुल्यांकनात्मक नही होते है। महिला श्रमिकों को प्रौद्योगिकी के कारण शारीरिक एवं यौनिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा परिवार के लिए घर में किये जाने वाले कार्यो को सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित किया जाये तो इसमें 25 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।[5]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा चार दशक पहले किये गये एक अध्ययन में यह स्थापित किया जा चुका है कि 100 मे से 27 महिलाएं आर्थिक रूप से सक्रिय हो गयी है जबकि विश्व के एक तिहाई श्रम शक्ति में महिलाओं का योगदान है। इसके साथ ही यह भी प्रकाश डाला गया कि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अन्य क्षेत्रों में प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी भिन्नता है। यह बेहतर रूप से स्थापित हो गया था कि आर्थिक जीवन में भागीदारी की दर पूर्वी युरोप और यूएसएसआर में अधिकतम् 40 प्रतिशत से अधिक होती है जहॉ महिला श्रम बल कुल कार्यबल का पॉच भाग में से दो भाग से अधिक कार्य करती है। लैटिन अमेरिका में आर्थिक जीवन में भागीदारी की दर 15 प्रतिशत से भी कम है जबकि कुल महिला कार्यबल का पॉचवां भाग यहॉ कार्य करता है।[6]

विकासशील देशों के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि देश के एक समूह जैसे हैती, नेपाल, थाईलैण्ड आदि आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की दर कुल महिला आबादी का 40 प्रतिशत से अधिक है जबकि दूसरे देशों में भारत, मलाया, मोरक्को, ट्यूनिशिया आदि कुल कृषि कार्यबल के 30 से 40 प्रतिशत की सीमा में महिलाओं की भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम है और कुल महिला आबादी का 20 से 25 प्रतिशत के बीच है।

आर्थिक कारकों के अलावा तकनीकी विकास ने महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोजगार के लिए सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। क्योंकि विभिन्न अध्ययनों से यह प्राप्त है कि यन्त्रीकरण ने महिला कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले काम की प्रकृति को आसान बना दिया है। जिससे यह संभव हो पा रहा है कि नियोक्ता द्वारा किसी भी कौशल या तकनीकी प्रशिक्षण के बिना महिला श्रम शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

संपूर्ण तकनीकी विकास पर एक तरफ महिलाओं को आकर्षक रोजगार का परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जाता है जबकि दूसरी तरफ इसने अपने हितों को इस तरह से संचालित किया है कि अन्य संबन्धित कारकों ने महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकुल प्रभाव डाला है जिससे महिला श्रमिको की स्थिति संचयी रूप से खराब हो रही है। विभिन्न कारकों की प्रासंगिकता महिला श्रमिकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों के क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है और यह एक देश से दूसरे देश के संदर्भ में अलग–अलग होता है। वर्तमान में उभरते ये सभी आयाम सामाजिक, ऐतिहासिक, तकनिकी और आर्थिक कारक है जो तीव्र गति से आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे समाज में महिलाओं के रोजगार के साथ अत्यधिक रंजित उद्देश्य और व्यक्तिपरक पृष्ठभूमि का संयोजन किया है।[7]

अधिकांश विकासशील देशों में बेरोजगारी और रोजगार के तहत फैलाये गये व्यापक रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न समस्याएं है। इस संदर्भ में सम्मिलित विविधता को समझने के लिए मौजूदा योजना के संदर्भ में प्रत्येक विशिष्ट मामले का मौजूदा बेरोजगारी और अपर्याप्तता के सम्बन्ध में अध्ययन करना अनिवार्य होता है। कृषि को छोड़कर रोजगार के अन्य क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को पुरूषों

के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और इसके कारण महिला श्रमिकों को काम के अवसरों से वंचित होना पड़ता है। विशेषकर आधुनिक उद्योगों में और साथ ही छोटे उद्योगों के यन्त्रीकरण में भी इसके परिणामस्वरूप महिला श्रमिकों को पुरूषों के समकक्ष प्रतिस्थापित होना पड़ता है। इन कारणों से महिला श्रमिकों को अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिल पाता है। विकासशील देशों में एक विशेष विशेषता बहुसंख्यक रूप में पायी जाती है वह यह है कि महिला को व्यावसायिक योग्यता के बिना रोजगार की तलाश करनी पड़ती है जो कि राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं की जरूरतों और सामाजिक विकास के पहलू नही हो सकते है। सामान्य आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है जो कि रोजगार वरीयता के मामले में प्रतिकुल प्रभाव उत्पन्न करते है। महिलाओं की इच्छा के अनुसार उनके रोजगार की आवश्यकता होती है जो व्यावसायिक उन्नति में प्रचलित परम्पराओं और रवैये के कारण महिलाओं को निर्वहन करना मुश्किल हो जाता है। ये तथ्य महिला श्रमिकों की कार्यक्षमता और रोजगार के अवसर पर प्रतिकुल प्रभाव डालते है। विकासशील देशों में ये सभी कारक महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण देना राज्य की मजबुरी हो जाती है, ताकि महिला श्रमिकों को रोजगार के अधिकतम् अवसर प्राप्त हो सके।

भारत में असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों का बड़ा हिस्सा कार्यरत् है। राष्ट्रीय महिला आयोग के एक अनुमान के अनुसार कुल महिला श्रम शक्ति का 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले महिला श्रमिकों, आकस्मिक श्रमिक, परिवार आधारित भुगतान श्रम के लिए दुष्कर स्थिति में कार्य करना पड़ता है। विभिन्न श्रम कानुनों ने मजदूरी, काम की दशाओं, मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से कोई विशेष लाभ पहुॅचाने में पुर्णतः सफलता प्राप्त नही कर पाया है।[8]

सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने महिलाओं के असंगठित क्षेत्र में कई तरह के व्यवसायों में कई अध्ययन किये है। देश के विभिन्न भागों में आयोजित किये गये अध्ययनों से असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भयावह परिस्थितियों का पता चलता है। प्रायः यह देखा गया है कि असंगठित क्षेत्र में में नौकरियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत निचली जाति और निचली श्रेणी के महिलाओं द्वारा नियोजित किया जाता है। अनभिज्ञता, निरक्षरता, कौशल की कमी, रोजगार की मौसमी प्रकृति, विभिन्न प्रकार के भारी शारीरिक कार्य, सीमित भुगतान के साथ कार्य की लम्बी अवधि, पुरूषों और महिलाओं के मजदूरी ढ़ांचे में भेदभाव, न्यूनतम् मजदूरी की गारंटी की कमी, सामाजिक सुरक्षा के व्यापक कानुन की कमी, कार्यस्थल पर न्युनतम् सुविधाओं की कमी आदि इस क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिकों के कार्य की प्रकृति से सम्बन्धित विशेषताएं है।[9]

राष्ट्रीय आय के आकड़ो में सामानों और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का उल्लेख किया जा सकता है। यद्यपि पुरूषों की 52 प्रतिशत की तुलन में महिला कार्य की भागीदारी 26 प्रतिशत से भी कम रही है। समस्या यह है कि महिलाएं सदैव काम करती रही है लेकिन कार्य के परिभाषा एवं कार्य योजना में महिलाओं के कार्य के योगदान को वास्तविक स्तर पर अर्थव्यवस्था और समाज में सम्मिलित नही किया गया।[10]

भारत में घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं जिन्हें मजदूरी मिलती है उनकी आय को सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है लेकिन जिनको मजदूरी नही मिलती है उनके कार्य को सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नही किया जाता है। महिलाएं अपने ही घर में परिवार के लिए ऐसा कार्य करती है, जिसे कोई और व्यक्ति करता है तो उसे मजदूरी मिलती है और उसकी आय को सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे कार्यों को भारतीय समाज में महिलाओं का स्वाभाविक कार्य मानकर उसकी गणना नही की जाती है।[11]

महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता एवं आर्थिक आवश्यकता के लिए कार्य करना पड़ता है। कुछ महिलाएं समाज को सेवा प्रदान करने एवं उपलब्धि की भावना के लिए पर्याप्त योग्य होती है, लेकिन अधिकांश भारतीय महिलाएं केवल आर्थिक मजबुरी के कारण 'उत्पादक कार्य' करती है। इसी कारण से आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय की महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है। प्रायः उच्च वर्ग की महिलाएं घरों तक सीमित होती है। शहरी महिलाओं में 10 प्रतिशत भागीदारी की तुलना में ग्रामीण

महिलाओं की भागीदारी 27 प्रतिशत से भी अधिक होती है। महिलाओं को नियमित रूप से रोजगार देने और अच्छा कार्य करने की दशा प्रदान करने के लिए समाज में प्रचलित मानसिकता के कारण महिलाओं को अस्थायी नौकरी करनी पड़ती है। वर्ष भर में अधिकांश दिन कार्य करने वाले श्रमिकों को 'मुख्य श्रमिक' कहा जाता है। महिला मुख्य श्रमिकों की आबादी 14.65 प्रतिशत एवं पुरूष 50.54 प्रतिशत है। महिला सीमान्त श्रमिकों की आबादी 6.26 प्रतिशत और पुरूष केवल .98 प्रतिशत ही है। अधिकांश भारतीय महिलाएं कृषि एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् है। असंगठित क्षेत्र में महिलाएं घरेलू कार्य, निर्माण क्षेत्र, टैनरीज, ईट–भट्ठा उद्योग, साड़ी, जरी, दरी, कालीन, बीड़ी उद्योग आदि में अंशकालिक रूप में कार्यरत् है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रम के आकड़े को सम्मिलित नही किया जाता है। इस क्षेत्र के कार्य प्रच्छन्न, अकुशल एवं कम मजदूरी के रूप में अनुसूचित है। इन्हे किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के रूप में कोई लाभ भी प्राप्त नही है।[12]

यह एक आम धारणा है कि पुरूषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता परिवार में पुरूषों की शक्ति निर्धारण के लिए कारक के रूप में कार्य करता है। आय से सम्बन्धित गतिविधियों में महिलाओं के भागीदारी बढ़ने के साथ ही न केवल परिवार के लिए अधिक आय होगी बल्कि लैंगिक असमानता में भी कमी आयेगी। यह भारत में विशेष रूप से दिखाई देता है जो कि अनेक अध्ययनों में श्रम शक्ति में महिला की भागीदारी का स्तर बहुत कम होता है। अनेक प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि महिलाओं के रसोई उद्यान, अनाज पीसने, घरेलू कार्य आदि को उत्पादक रूप में स्वीकार किया जाता तो 88 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं एवं 66 प्रतिशत शहरी महिलाओं को उत्पादक माना जा सकता है। पारिवारिक खेतों या व्यवसायों में महिलाओं के कार्य को आर्थिक रूप से उत्पादक के रूप में मान्यता प्राप्त नही है और इस क्षेत्र में प्राप्त आय को प्रायः पुरूषों के द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। परिवार के आय को वितरित या नियन्त्रित करने में महिला की कोई भागीदारी नही होती है।[13]

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिकों के लिए अनेक नकारात्मक पक्ष है लेकिन इन पक्षों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक पक्ष को बढ़ावा देना चाहिए। 'कामकाजी महिलाएं' आज पुर्ण रूप से घरेलू और समाज की अर्थव्यवस्था में सहायक है। स्वतन्त्र भारत में यह कहा जा सकता है कि 'दास माताओं का स्वतन्त्र जन्म नही हो सकता है'। यह सभ्यता अभी तक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के वर्तमान युग में चित्रित महिलाओं की वास्तविक शक्ति का साक्षी है।

जहॉ तक प्रौद्योगिकी के प्रभाव का सम्बन्ध है प्रौद्योगिकी पर निर्भरता से बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है जिसका महिलाओं पर नाटकीय रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहॉ महिलाएं कार्य कर रही है यदि वहॉ प्रौद्योगिकी का प्रारम्भ होता है तो वहॉ महिला श्रमिकों को प्रायः पुरूषों से विस्थापित होना पड़ता है। आर्थिक आवश्यकताएं महिला श्रमिकों को कम मजदूरी पर भी बिना सामाजिक सुरक्षा के बाहर कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। रोजगार के दौरान महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। लम्बे समय तक कार्य करते रहने के कारण उनकी कार्यक्षमता कम होने से रोजगार का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है।

उपरोक्त समस्या के तथ्यात्मक विश्लेषण के पश्चात् कुछ सुझाव दृष्टिगत् है–

1. महिला श्रमिकों में कौशल की प्रायः कमी पायी जाती है अतः उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. महिला श्रमिकों के मध्य उनके सुरक्षा के अधिकारों को लेकर उपलब्ध संसाधनों के विषय में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।
3. महिला श्रमिकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तित करने में मीडिया उपयोगी हो सकता है।
4. महिला श्रमिकों के यौन शोषण पर आरोपी के विरूद्ध आपराधिक न्याय प्रणाली और अधिक प्रभावी होनी चाहिए।
5. असंगठित महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. Lewis, W. Arthur, 'Economic Development with Unlimited Supplies of Labour', Edited by Agrawal, A.N. & Singh, S.P., 1958.
2. Central Statistical Organization, Govt. of India, 2011.
3. Arjunsen Gupta Committee Report, Govt. of India, 2012.
4. International Labour Organization Report, 2007.
5. प्रो. सेन, अभिजित (18 नवम्बर, 2017),'महिलाओं के घरेलू काम का कुछ तो मुल्यांकन हो', पत्रिका समाचार पत्र, सागर, मध्य प्रदेश, पृ. 10.
6. International Labour Conference-Forty Eighth Session, (1964), 'Women Workers in a Changing World', (ILO), Geneva.
7. Ibid.
8. David, Nancy. (1996), '*Unorganized Women Workers: Problems and Prospects'*, in 'Unorganized Women Labour in India', S.N.Tripathy (Ed.).
9. Singh, Mohinder, (January 1989). 'Women and Development Process in India', KHADI GRAMODYOG, .XXXV, No.4, 200-2001.
10. Senagupta, Prantika, (2010). 'Condition of Women Working in the Unorganized Sector', available at http:// www.legalservicesindia.com/article/1432.
11. प्रो. स्वामिनाथन, पद्मिनी (18 नवम्बर, 2017),'नारी के ममता व स्नेह को आंकना आसान नही', पत्रिका समाचार पत्र, सागर, मध्य प्रदेश, पृ. 10.
12. Senagupta, Prantika, (2010). 'Condition of Women Working in the Unorganized Sector', available at http:// www.legalservicesindia.com/article/1432.
13. Ibid.